

Most Urgent

प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैकटर-5, पंचकुला।

सेवा में

राज्य के समस्त
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक 4/37-2013 एम.डी.एम(1)
दिनांक: पंचकूला 1-7-2014,

विषय: हरियाणा राज्य में मिड-डे-मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाने बारे।

.....

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

निदेशालय द्वारा मिड-डे-मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको बार-बार दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। फिर भी प्रायः देखने में आया है कि कई जिलों में मिड-डे-मिल में बाहरी कीट इत्यादि का पाया जाना खेद का विषय है। इस तरह की भविष्य में कोई घटना न हो, इसके लिए आपको अधिक सर्तकता बरतने/जहां पर मिड-डे-मील तैयार किया जाता है। उस जगह पर जाली इत्यादि का प्रबन्ध किया जाना सुनिश्चित करें ताकि मिड-डे-मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा सके। अतः निदेशालय द्वारा पुनः दिशा-निर्देश जारी करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्न उठाने बारे एवं मिड-डे-मील को तैयार करने एवं बच्चों को खाना परोसने बारे निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः—

2 मिड-डे-मील से सम्बन्धित खाद्यान्न के उठान से पहले निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः—

- क. भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्न उठाने से पहले उसकी गुणवत्ता तथा वजन को भली प्रकार से जांच लें।
- ख. खुले में रखे खाद्यान्न की कोई भी उठान न करवाएं।
- ग. केवल उठान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ही करवाएं।
- घ. जिस दिन खाद्यान्न की उठाई हो, उस दिन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी या खण्ड शिक्षा अधिकारी में से एक अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेगा। यदि बाद में खाद्यान्न की गुणवत्ता सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उस अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- ङ् अपने—अपने जिलों से सम्बन्धित सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हैफेड द्वारा जब भी खाद्यान्न देने आएंगे, उस

—

continued

समय स्वयं सहायता समूह का कोई न कोई सदस्य खाद्यान्न को लेने के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेगा। इस खाद्यान्न को लेने से पहले भली प्रकार से उन द्वारा लाए गए कांटे से नाप-तोल कर लें और पूरे खाद्यान्न का वजन लेना सुनिश्चित करें। यदि किसी स्वयं सहायता समूह द्वारा खाद्यान्न लेने से इन्कार किया जाता है तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

2 मिड-डे-मील तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः—

- क. मिड-डे-मील तैयार करते समय मिड-डे-मील में प्रयोग किए जाने वाली रसोई/जहां पर मिड-डे-मील तैयार किया जाता है, वहां पर जाली इत्यादि का विशेष प्रबन्ध किया जाना सुनिश्चित करें ताकि कोई बाहरी कीट इत्यादि मिड-डे-मील में न गिर सके तथा भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी से भी बचा जा सके। मिड-डे-मील खाद्यान्न/बर्टनों को भली प्रकार से साफ करवाकर साफ सुधरे बर्टनों में ही मिड-डे-मील डुलवाएं तथा तैयार मिड-डे-मील को साफ सुधरे स्थान पर रखवाएं तथा स्वच्छता से छात्रों में मिड-डे-मील को परोसा जाए। बाजार से खुला तेल/घी खरीदने के बजाये, सील बन्द अच्छी कम्पनी का तेल अथवा घी प्रयोग किया जाए।
- ख. मिड-डे-मील किचन में ही तैयार किया जाए। खुले में अथवा वृक्ष के नीचे खाना तैयार न करवाया जाए।

3 मिड-डे-मील परोसने से पहले निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः—

- क. मिड-डे-मील स्वच्छता से छात्रों को परोसने से पूर्व स्कूल के सभी छात्र-छात्राओं के हाथ अच्छी तरह साबुन से धुलवाए जाएं एवं मिड-डे-मील खाने के उपरान्त भी सभी छात्र-छात्राओं के हाथ साबुन से अच्छी तरह धुलवाना सुनिश्चित करें।
- ख. निदेशालय द्वारा अपराह्न भोजन योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले 16 व्यजनों में से जो भी व्यंजन बनाया जाए वह सभी व्यंजन विद्यालय प्रांगण तथा स्कूल के मुखिया की देख-रेख में बनेंगे। स्कूल का मुखिया यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता और मात्रा ठीक हो और स्कूल का मुखिया बच्चों को परोसने से पहले भोजन को चखेगा।

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी समय-समय पर स्कूलों में मिड-डे-मील का निरीक्षण करें तथा सुनिश्चित करें कि बच्चों के लिए दिया जाने वाला मिड-डे-मील साफ-सुधरा व

—3—

अच्छी गुणवत्ता का दिया जा रहा है तथा निरीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट निदेशालय में भिजवायें।

जिन जिलों में ईस्कॉन द्वारा मिड-डे-मील दिया जा रहा है उन जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के मुखिया/स्कूल के मिड-डे-मील इंचार्ज को निर्देश दें कि ईस्कॉन द्वारा सप्लाई किये जाने वाले मिड-डे-मील को भली प्रकार से चैक करें, साफ सुथरे बर्तनों में डलवाकर साफ स्थान पर रखवाएं और स्वच्छता से बच्चे में परोसने के पूर्व सम्बन्धित स्कूल के मिड-डे-मील इंचार्ज द्वारा मिड-डे-मील स्वयं चखने उपरान्त सुनिश्चित करें कि मिड-डे-मील ठीक बना है, यदि किसी प्रकार का दूषित या ठीक खाना न बना हो, तब तुरन्त ईस्कॉन को सूचित करें।

कृप्या उपरोक्त दिशा निर्देशों की दृढ़ता से पालना करें।

1-7-2014

प्रबन्धक मिड-डे-मील
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांनक क्रमांक –सम-

दिनांक: पंचकुला 1-7-2014

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

4. राज्य के समस्त अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कृप्या अपने जिले से सम्बन्धित स्कूलों में दिए जा रहे मिड-डे-मील का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।
5. श्री धंनजय कृष्ण दास, निदेशक, ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउडेशन, अली गांव नजदीक बारात घर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044, को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।
6. निदेशक ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउडेशन, कम्युनिटी सेंटर, सैक्टर 7-ए, बिहाईड सेन्ट जोन पब्लिक स्कूल, नजदीक सत्या सिनेमा, फरीदाबाद-121006 को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों की दृढ़ता से पालना की जाए।

1-7-2014

प्रबन्धक मिड-डे-मील
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

(7)

Most Urgent

प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैकटर-5, पंचकुला।

सेवा में

राज्य के समर्त
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।

यादी क्रमांक 4/37-2013 एम.डी.एम(1)
दिनांक: पंचकूला १८-७-२०१३

विषय: हरियाणा राज्य में मिड-डे-मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाने वारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में।

निदेशालय द्वारा मिड-डे-मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको बार-बार दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं। अतः निदेशालय द्वारा पुनः दिशा-निर्देश जारी करते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्न उठाने वारे एवं मिड-डे-मील को तैयार करने एवं बच्चों को खाना परोसने वारे निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः—

1. मिड-डे-मील से सम्बन्धित खाद्यान्न के उठान से पहले निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः—
 - क. भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्न उठाने से पहले उसकी गुणवत्ता तथा वजन को भली प्रकार से जांच लें।
 - ख. खुले में रखे खाद्यान्न की कोई भी उठान न करवाएं।
 - ग. केवल उठान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ही करवाएं।
 - घ. जिस दिन खाद्यान्न की उठाई हो, उस दिन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/उप जिला शिक्षा अधिकारी या खण्ड शिक्षा अधिकारी में से एक अधिकारी मौके पर उपस्थित रहेगा। यदि बाद में खाद्यान्न की गुणवत्ता सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उस अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- इ. अपने—अपने जिलों से सम्बन्धित सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हैफेड द्वारा जब भी खाद्यान्न देने आएंगे, उस समय स्वयं सहायता समूह का कोई न कोई सदस्य खाद्यान्न को लेने के लिए विद्यालय में उपस्थित रहेगा। इस खाद्यान्न को लेने से पहले भली प्रकार से उन द्वारा लाए गए कांटे से नाप—तोल कर लें और पूरे खाद्यान्न का वजन लेना सुनिश्चित करें। यदि किसी स्वयं सहायता समूह द्वारा खाद्यान्न लेने से इन्कार किया जाता है तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

२८

2 मिड-डे-मील तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः—

क. मिड-डे-मील तैयार करते समय मिड-डे-मील में प्रयोग किए जाने वाले खाद्यन्न/बर्तनों को भली प्रकार से साफ करवाकर साफ सुधरे बर्तनों में ही मिड-डे-मील डलवाएं तथा तैयार मिड-डे-मील को साफ सुधरे स्थान पर रखवाएं तथा स्वच्छता से छात्रों में मिड-डे-मील को परोसा जाए। बाजार से खुला तेल/घी खरीदने के बजाये, सील बन्द अच्छी कम्पनी का तेल अथवा घी प्रयोग किया जाए।

ख. मिड-डे-मील किचन में ही तैयार किया जाए। खुले में अथवा वृक्ष के नीचे खाना तैयार न करवाया जाए।

3 मिड-डे-मील परोसने से पहले निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः—

क. मिड-डे-मील स्वच्छता से छात्रों को परोसने से पूर्व स्कूल के सभी छात्र-छात्राओं के हाथ अच्छी तरह साबुन से धुलवाएं जाएं एवं मिड-डे-मील खाने के उपरान्त भी सभी छात्र-छात्राओं के हाथ साबुन से अच्छी तरह धुलवाना सुनिश्चित करें।

ख. निदेशालय द्वारा अपराह्न भोजन योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले 16 व्यजनों में से जो भी व्यंजन बनाया जाए वह सभी व्यंजन विद्यालय प्रांगण तथा स्कूल के मुखिया की देख-रेख में बनेंगे। स्कूल का मुखिया यह सुनिश्चित करेगा कि गुणवत्ता और मात्रा ठीक हो और स्कूल का मुखिया बच्चों को परोसने से पहले भोजन को चखेगा।

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी/खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारी समय-समय पर स्कूलों में मिड-डे-मील का निरीक्षण करें तथा सुनिश्चित करें कि बच्चों के लिए दिया जाने वाला मिड-डे-मील साफ-सुधरा व अच्छी गुणवत्ता का दिया जा रहा है तथा निरीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट/निदेशालय में भिजवायें।

जिन जिलों में ईस्कॉन द्वारा मिड-डे-मील दिया जा रहा है उन जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों के मुखिया/स्कूल के मिड-डे-मील इंचार्ज को निर्देश दें कि ईस्कॉन द्वारा सप्लाई किये जाने वाले मिड-डे-मील को भली प्रकार से चैक करें, साफ सुधरे बर्तनों में डलवाकर साफ स्थान पर रखवाएं और स्वच्छता से बच्चों में परोसने के पूर्व सम्बन्धित स्कूल के मिड-डे-मील इंचार्ज द्वारा मिड-डे-मील स्वयं चखने उपरान्त सुनिश्चित करें कि मिड-डे-मील ठीक बना है, यदि किसी प्रकार का दूषित या ठीक खाना न बना हो, तब तुरन्त ईस्कॉन को सूचित करें।

कृप्या उपरोक्त दिशा निर्देशों की दृढ़ता से पालना करें।

Dumy
अतिरिक्त निदेशक मिड-डे-मील
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांनक क्रमांक -सम-

दिनांक: पंचकूला (८-७-२०१९)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य के समस्त अतिरिक्त जिला उपायुक्तों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कृपया अपने जिले से सम्बन्धित स्कूलों में दिए जा रहे मिड-डे-मील का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें।
2. श्री धनंजय कृष्ण दास, निदेशक, ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउडेशन, अली गांव नज़दीक बारात घर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044, को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों की वृद्धता से पालना की जाए।
3. निदेशक ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउडेशन, कम्युनिटी सेंटर, सैक्टर 7-ए, बिहाईड सेन्ट जोन पब्लिक स्कूल, नज़दीक सत्या सिनेमा, फरीदाबाद-121006 को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उक्त आदेशों की वृद्धता से पालना की जाए।

७/८ अतिरिक्त निदेशक मिड-डे-मील
कृते महानिदेशक गौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

Most Urgent

प्रेषक

महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैकटर-5, पंचकुला।

सेवा में

1. श्री धनंजय कृष्ण दास, निदेशक,
ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन,
अली गांव नजदीक बारात घर,
मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044
2. निदेशक,
ईस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन,
कम्युनिटी सेंटर, सैकटर 7-ए,
बिहाईड सेन्ट जोन पब्लिक स्कूल,
नजदीक सत्या सिनेमा, फरीदाबाद-121006

यादी क्रमांक 4/37-2013 एम.डी.एम(1)
दिनांक: 21.10.2013.

विषय: हरियाणा राज्य में मिड-डे-मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाने वारे।

उपरोक्त विषय पर इस निदेशालय के यादी क्रमांक 4/37-2013 एम.डी.एम(1)
दिनांक 18.07.2013 (प्रति संलग्न) की निरन्तरता में।

निदेशालय द्वारा मिड-डे-मील स्कीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको
पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः—

1. मिड-डे-मील से सम्बन्धित खाद्यान्न के उठान से पहले निम्नलिखित बातों का विशेष
ध्यान रखा जाएः—
 - क. भारतीय खाद्य निगम के डिपुओं से खाद्यान्न उठाने से पहले उसकी गुणवत्ता तथा
वजन को भली प्रकार से जांच लें।
 - ख. खुले में रखे खाद्यान्न की कोई भी उठान न करवाएं।
 - ग. केवल उठान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से ही करवाएं।
 - घ. खाद्यान्न की गुणवत्ता सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त हुई तो ईस्कॉन की व्यक्तिगत
जिम्मेवारी होगी।
2. मिड-डे-मील तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखा जाएः—
 - 1 आप द्वारा प्रयोग की जा रही केन्द्रीय किचन में सभी प्रकार का अच्छा खाना बनाने के
लिए सहलियते होनी चाहिए।
 - 2 केन्द्रीय किचन में सफाई की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।
 - 3 केन्द्रीय किचन में किसी अच्छी संस्था द्वारा Pest Control बारे सहलियत भी सुनिश्चित
करें।

- 4 खाना बनाने के लिए प्रयोग की जा रही सामग्री अच्छी क्वालिटी तथा (Branded) अच्छी कम्पनी का होना सुनिश्चित किया जाए।
- 5 खाना बनाने के लिए बाजार से खुला तेल/धी व अन्य मसाले प्रयोग में न लाए जाए।
- 6 खाना बनाने से पूर्व बर्तनों की साफ-सफाई बारे पूरा ध्यान रखा जाए।
- 7 खाना बनाने के पश्चात आपके 2 सदस्यों द्वारा खाना चख कर अवश्य देखा जाए तथा इस बारे कायालय रिकार्ड में भी दर्ज करे।
- 8 खाना बनाने के पश्चात जिन कन्टेनरों में खाना विद्यालयों में भेजा जाना है उसकी स्वच्छता बारे भी 2 सदस्यों द्वारा चैक किया जाए तथा बना हुआ खाना डालने के बाद उसे निश्चित समय में स्कूलों में पहुँचाना सुनिश्चित करे।
- 9 स्कूल के सम्बन्धित मिड डे मील इन्चार्ज को पकाया हुआ खाना देने से पूर्व सुनिश्चित करवाए कि खाना खाने योग्य है तथा इसमें किसी प्रकार की कोई अन्य बाहरी वस्तु या कीड़ा इत्यादि नहीं गिरा है तथा इस बारे मिड डे मील इन्चार्ज अथवा स्कूल के मुखिया द्वारा अधिकृत से रसीद भी ले।
- 10 ईस्कॉन द्वारा स्कूल के मुखिया की देख-रेख में ही मिड-डे-मील सौंपा जाए तथा स्कूल के मुखिया द्वारा यह सुनिश्चित करवाया जाए कि गुणवत्ता और मात्रा ठीक है और बच्चों को परोसने से पहले भोजन स्कूल के मिड डे मील इन्चार्ज / मुखिया को चखवायें।
कृप्या उपरोक्त दिशा निर्देशों की दृढ़ता से पालना करें।

Dm ३।।३।।३
अतिरिक्त निदेशक मिड-डे-मील
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला

पृष्ठांनक क्रमांक –सम-

दिनांक: पंचकुला 21-10-2013.

इसकी एक प्रति जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुडगांव, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र व पलवल को भेजकर पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि ईस्कॉन द्वारा सप्लाई किए जाने वाले मिड-डे-मील को भली प्रकार से चैक करें, साफ सुधरे बर्तनों में डलवाकर साफ रथान पर रखवाएं और स्वच्छता से बच्चों को परोसने से पूर्व सम्बन्धित स्कूल के मिड-डे-मील इन्चार्ज द्वारा मिड-डे-मील स्वयं चखने उपरान्त सुनिश्चित करें कि मिड-डे-मील ठीक बना है, यदि किसी प्रकार का दूषित या ठीक खाना न बना हो, तब तुरन्त ईस्कॉन तथा निदेशालय को सूचित करें।
कृप्या उपरोक्त दिशा निर्देशों की दृढ़ता से पालना करें।

Dm
अतिरिक्त निदेशक मिड-डे-मील
कृते महानिदेशक मौलिक शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला